129

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एम0के0 सिंह

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2397—एक/2015 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 20—07—2015 के द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी लवकुश नगर, जिला—छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 11/अपील/2013—14

.....

1— रामआसरे तनय सुन्दर लाल पाल
2— बुट्टु तनय सुन्दर लाल पाल
3— रजवा पाल तनय सुन्दर लाल पाल
4— पत्ते पाल तनय सुन्दर लाल पाल
5— भैया राम तनय सुन्दर लाल पाल
6— बृजलाल तनय काशीप्रसाद पाल
7— मोतीलाल तनय काशीप्रसाद पाल
8— सुनवा तनय श्यामलाल पाल
9— हल्की बेवा सियाराम पाल
10— लीला बिहारी तनय सियाराम पाल
11— किशोरी लाल तनय सियाराम पाल
12— राजा भईया तनय सियाराम पाल
13— गोला तनय भईया लाल पाल
निवासीगण— ग्राम धुरारा तहसील गोरिहार
जिला—छतरपुर(म0प्र0)

.....आवेदकगण

विरूद्ध

1— बेटू तनय कल्लू पाल
2— रम्मू तनय कल्लू पाल
3— बब्बू तनय कल्लू पाल
4— रामेश्वर तनय कल्लू पाल
निवासीगण— ग्राम धुरारा तहसील गोरिहार
जिला—छतरपुर(म0प्र0)

.....अनावेदकगण

.....

श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री ए0के0 निगम, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

आदेश

(आज दिनांक 16-1-2017 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी लवकुश नगर जिला–छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–07–2015 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि भूमि आराजी नं0 102/2, 56/6, 227, 276/9/1 इकत्र रकबा 4.462 है0 स्थित मौजा धुरारा की भूमि मृतक काशीप्रसाद तनय बल्दू पाल के स्वामित्व व आधिपत्य की एकाकी भूमि थी। काशीप्रसाद की मृत्यु के पश्चात हल्का पटवारी ने बी–14 में कल्लू व गोला का नाम गलत तरीके से फर्जी जोड़का खाता कायम किया और कल्लू की कृत्यु के पश्चात नामांतरण पंजी क्र0 5 आदेश दिनांक 11.10.1999 को ग्राम पंचायत चुकेटा की बैठक के दौरान पटवारी ने नामांतरण पंजी प्रस्तुत की जो बैठक में फौती नामांतरण कल्लू के स्थान पर अनावेदकगणों के नाम पारित किया गया। उक्त नामांतरण पर आवेदकगण ने ग्राम चुकेटा के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत की कि दिनांक 11.10.1999 का प्रस्ताव विलोपित किया गया । हल्का पटवारी ने उसी आदेश का अमल राजस्व अभिलेखों में किया । इसके पश्चात आवेदकगण ने नामांतरण पंजी क्र0 5 आदेश दिनांक 11.10.1999 के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी लवकुश नगर के न्यायालय में प्रस्तुत की जो प्रकरण क्रमांक 222/अपील/2002–03 पर पंजीबद्ध किया जाकर पारित आदेश दिनांक 12.08.2004 को अपील म्याद के बाहर मानकर खारिज की गई। इस आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा निगरानी अपर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जो प्रकरण क्रमांक 369/निगरानी/अपील/2003–04 में पारित आदेश दिनांक 07.12.2006 को यह आदेश पारित किया कि नामांतरण पंजी क्र0 5 आदेश दिनांक 11.10.1999 एवं अनुविभागीय अधिकारी का प्र0क्र0 222/अपील/2002–03 में पारित आदेश दिनांक 12.08.04 निरस्त किया जावे तथा फर्जी सम्पूर्ण प्रवृष्टि को निरस्त कर एवं गोला व कल्लू का नाम निरस्त कर मात्र विवादग्रस्त भूमि काशीप्रसाद तनय बल्दू पाल की मान्य की गई । काशी प्रसाद की मृत्यु हो गई थी, इसलिये अपर कलेक्टर छतरपुर ने प्रकरण तहसीलदार गौरिहार को इस निर्देश के साथ वापस किया कि धारा 110 के अधीन मृतक काशीप्रसाद के समस्त वारिसानों के नाम नामांतरण आदेश पारित करें। तहसीलदार गौरिहार ने अपर कलेक्टर छतरपुर के आदेश का पालन करते

हुये तथा हल्का पटवारी व ग्राम पंचायत से काशीप्रसाद के सिजरा खानदान की तजदीक कराई गई इसके बाद दिनांक 06.07.2007 को वारिसाना नामांतरण आवेदकगण के नाम किया गया, किन्तु आदेश में छोटी सी त्रुटि होने के कारण आवेदकण ने धारा 32 का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें तहसीलदार गोरिहार ने दिनांक 06.07.07 को आदेश में संशोधन करते हुये हल्का पटवारी को नामांतरण दर्ज करने के आदेश दिये। इस आदेश दिनांक 30.07.2013 को कोई नया आदेश पारित नहीं किया गया। अनावेदकगणों के द्वारा उक्त आदेश दिनांक 30.07.2013 के विरूद्ध पुनः अनुविभागीय अधिकारी, लवकुश नगर के समक्ष अपील पेश की, जो प्रकरण क्रमांक 11/अपील/2013–14 में दर्ज होकर पारित आदेश दिनांक 20.07.2015 को अपील जानकारी दिनांक से अन्दर अवधि मान्य की जाकर अपील स्वीकार की गई। अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि प्रस्तुत निगरानी जानकारी के दिनांक से समय सीमा के अंदर प्रस्तुत किया गया है। अनावेदकगण के द्वारा जो अपील में धारा 5 का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है उसमें सर्वप्रथम जानकारी किस प्रकार से हुई किस दिनांक को हुई, यह लेख नहीं किया गया एवं विवादित आदेश की नकल दिनांक 17.10.2014 को तैयार हो चुकी थी। आपने दिनांक 23.10.2014 को नकल प्राप्त की, इस कारण आपके द्वारा 17.10.2014 एवं 23.10.2014 के बीच का कोई कारण लेख नहीं किया है कि आपके द्वारा किस प्रकार से विलम्ब हुआ। विलम्ब का कोई कारण आपने लेख नहीं किया। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वह विधि विरूद्ध है। पारित किया गया अनावेदकगण की अपील समय सीमा के बाद है। निरस्त किये जाने योग्य थी लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने समय सीमा के अंदर मान्य किया है। अनावेदकगण के द्वारा आदेश दिनांक 06.07.2007 के विरूद्ध आज तक कोई अपील नहीं की गई है । इस कारण मूल आदेश अंतिम हो गया । आदेश दिनांक 30.07.2013 को केवल संशोधन किया गया है। धारा 32 में यह प्रावधान है कि यदि पूर्व आदेश में कोई पीठासीन अधिकारी के द्वारा त्रुटि की गई है तो इस धारा के तहत सुधार किया जा सकता है। अनुविभागीय अधिकारी लवकुश नगर के आदेश में कोई धारा 5 के संबंध में विवेचना नहीं की गई है, बोलता हुआ आदेश नहीं है। उक्त आदेश में कई प्रकार की त्रुटियां है, अनियमिततायें है। अतः ऐसा आदेश स्थिर रखे जाने योग्य न होने से निरस्त किया जावे तथा निगरानी स्वीकार किया जावे।

4/ अनावेदकगण के अभिभाषक द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर प्रकरण किये जाने का निवेदन किया गया है।

5/ मेरे द्वारा उभयपक्ष अभिभाषकों के तर्को का अवलोकन किया गया था तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया । अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अनावेदकगण द्वारा एक आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम दिनांक 24.10.2013 को अनुविभागीय अधिकारी लवकुश नगर के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसमें विषय से संबंधित प्रसंगिक तथ्य इस प्रकार व्यक्त कये गये कि आवेदकगण द्वारा कराई गई कार्यवाही की जानाकरी अनावेकदकगण को तब हुई जब अनावेदकगण की संसूचना के दिनांक से लिये जाने का प्रावधान है। ऐसी दशा में विलम्ब को माफ कर अपील समयावधि में मान्य किया जाना उचित प्रतीत होता है। इसी आधार पर अनुविभागीय अधिकारी लवकुश नगर ने अनावेदकगण के द्वारा प्रस्तुत अपील को जानकारी दिनांक से अन्दर अवधि मान्य किया है। मेरे मतानुसार अनुविभगीय अधिकारी लवकुश नगर के द्वारा लिया गया निर्णय सही है।

6/ उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में अनुविभागीय अधिकारी लवकुश नगर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–07–2015 न्यायसंगत होने से स्थिर रखा जाता है। फलतः आवेदकगण के द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज किया जाता है। पक्षकार सूचित हो। तत्पश्चात प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड हो।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर